कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना (Technology Mission on Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में गन्ने की नोटिफाईड़/सिफारिश की गई किस्मों को Promotion of Wide Row with intercropping, Single Bud Plantation, Trash mulching व Ring Pit Method of plantation विधियों से गन्ने की बिजाई करते हुए प्रदर्शन–प्लाट लगाने हेतु सहायक गन्ना विकास अधिकारी, यमुनानगर, नारायणगढ, शाहाबाद, करनाल, असंध, भादसों, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, जीन्द, पलवल, भूना, गोहाना व महम के क्षेत्र के किसानों को अनुदान/सहायता राशि दी जानी है। उक्त विधियों से गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन–प्लाट लगाने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in में Agri Scheme Governance link पर अपना आवेदन दिनांक 01.09.2019 से 30.09.2019 तक कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दिशा–निर्देश वैबसाईट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

ACDO Wise allocation of Physical and Financial target under TMS scheme for the year 2019-20 (see attached excel sheet).

ACDO Wise allocation of Physical and Financial target under TMS scheme for the year 2019-20

Sr. No.	Name of ACDO	Promotion of wide row spacing with intercropping		Single bud plantation method		Trash mulching		Ring Pit Method of Plantation	
		Phy. (acre)	Fin. (Rs. in lac)	Phy. (acre)	Fin.(Rs. in lac)	Phy. (acre)	Fin.(Rs. in lac)	Phy. (nos)	Fin. (Rs. in lac)
1	**Y.Nagar**	5000	180.00	240	7.20	2000	6.00	12	1.20
2	**N.Garh**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
3	**Shahabad**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
4	**Bhadson**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
5	**Karnal**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
6	**Assandh**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
7	**Kaithal**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
8	**Panipat**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
9	**Sonipat**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
10	**Gohana**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
11	**Jind**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
12	**Rohtak**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
13	**Meham**	1630	58.68	60	1.80	670	2.01	3	0.30
14	**Palwal**	460	16.56	25	0.75	300	0.90	1	0.10
15	**Bhuna**	216	7.776	15	0.45	160	0.48	1	0.10
	Total	**25236.00**	**908.50**	**1000.00**	**30.00**	**10500.00**	**31.50**	**50.00**	**5.00**

किसानों हेतू विशेष दिशा–निर्देशः–

1. Promotion of Wide Row with intercropping विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतू प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3600 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएॅगी।
2. Single bud plantation method विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतू प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएॅगी।
3. Trash mulching विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 300 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएॅगी।
4. गढा विधि से बिजाई (Ring Pit Method) के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतू बिजाई के समय प्रयोग आने वाली मशीन के किराए, मजदूरी व्यय व कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतू किसान को 10000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएॅगी।
5. एक किसान को किसी एक मद (उपरोक्त क्र0स0 1 से 4) के अन्तर्गत ही एक एकड़ क्षेत्र का प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतू सहायता राशि (मशीन किराया/मजदूरी व्यय/कृषि सामग्री हेतू) प्रदान की जाएॅगी।
6. उपरोक्त सहायता गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएॅगा।
7. उक्त विधियों से से गन्ने की खेती के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई के प्रयोग के लिए मशीन किराए, मजदूरी व्यय तथा कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु उक्त मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि की रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना

विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी0बी0टी0 के द्वारा सम्बन्धित किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। किसान राज्य में सरकारी/अर्धसरकारी/एन0जी0ओ0 तथा CCS HAU, and IFFCO & KRIBHCO या राज्य में किसी भी लाईसैंस धारक/Authorized dealer से कृषि सामग्री चुनने के लिए स्वतंत्र होगें।

8. योजना ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर लागू की जाएगी।
9. आवेदन स्वीकार्य होने उपरान्त 10 दिन के भीतर सम्बन्धित किसान को कृषि सामग्री की खरीद करनी होगी अन्यथा अगले पात्र किसान को सहायक गन्ना विकास अधिकारी /कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाएँगी।
10. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन–प्लाट क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देख–रेख में लगाएँ जाएगें।
11. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिएः–

    (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।

    (ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
12. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30-09-2019 है। किसान ऑफलाईन आवेदन करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र संबंधित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) /सहायक गन्ना विकास अधिकारी को 31.10.2019 तक जमा करवा सकते है।

अधिक जाानकारी के लिए अपने क्ष`त्र क` कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निद`शक क` कार्यालय स` सम्पर्क करें।